

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 174/2020

तारीख रजू 26.11.2020

सत्यनारायण पुत्र शिवचरण जाति गुर्जर निवासी कुतलपुर तह.खण्डार।

--- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ।

--- रेस्पों

निर्णय

दिनांक.....5/3/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा मिसल संख्या 20/2020 में पारित आदेश दिनांक 05.10.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कुतलपुर के आराजी खसरा नम्बर 187/4 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म बंजड 1 पर संवत् 2077 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलार्थी निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पों की ओर से राजकीय पेशेकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थी आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों का सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया है एवं गलत प्रकार से निर्णय पारित किया है इसलिये माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। यह है कि अपीलार्थी को कोई सम्मन नहीं मिला नहीं अपीलार्थी कोई तामील हुयी तथा नहीं जवाब देही का अवसर दिया यदि अपीलार्थी को सम्मन दिया जाता तो अपीलार्थी अपने पक्ष में जवाब पेश करता। यह भी तर्क दिया है कि आराजी खसरा नम्बर 187/4 रकबा 1 बीघा राजस्व ग्राम कुतलपुर पर अपीलार्थी का कोई कब्जा काशत नहीं है तथा नहीं अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है, मात्र पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर अपीलार्थी को 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर दिया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि अपीलार्थी का कब्जा अपनी स्वयं की खातेदारी की आराजीयात पर है जो उक्त विवादित भूमि के पास स्थित है तथा सीमाज्ञान नहीं हो रहा है। प्रार्थी अपनी ही जमीन पर काशत करता है परन्तु पटवारी हल्का

15  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर



ने कार्यालय में बैठकर रंजिश वश उक्त झूठी रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। यह भी तर्क दिया है कि पाश्चातवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्त के चाचा को नोटिस तामील करायी गयी अपीलान्त बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 05.10.2020 को उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्त द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2020 में बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्त को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 5/3/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ०सूरज सिंह नेगी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर